ए.

नाविका कुमार

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2022 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 286) 23 सितंबर, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधानःअनुच्छेद 32-रिट ऑफ सर्टिओरारी-याचिकाकर्ता टाइम्स नाउ पर प्रसारित न्यूशोर डिबेट (बहस) के एंकर थे-26.05.2022 पर प्रसारित बहस के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर विभिन्न प्राथमिकियां/आपराधिक शिकायतें-याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका में वर्णित प्राथमिकियां/शिकायतों या किसी अन्य प्राथमिकियां/आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए प्रार्थना की जो भविष्य में उसी घटना से उत्पन्न हो सकती हैं-याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की कि विभिन्न प्राथमिकियां/शिकायतों को एक साथ जोड़ा जाए-आयोजितःसह-अभियुक्त के मामले में इस अदालत द्वारा पहले के अवसर पर पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी प्राथमिकियों/शिकायतों को दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है-दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई पूरी तरह से अनुसंधान करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य एजेंसियों से कोई भी जानकारी एकत्र करने और एकत्र करने के लिए स्वतंत्र होगी-याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले से दर्ज एफ. आई. आर./शिकायतों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी या जो फैसले की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के लिए बहस से संबंधित भविष्य में दर्ज की जा सकती है ताकि याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित अदालत से संपर्क कर सके-बहस के संबंध में भविष्य में दर्ज की जाने वाली किसी भी बाद की एफ. आई. आर./शिकायतों की अनुसंधान दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई को स्थानांतरित कर दी जाएगी-इस संबंध में482 दंड प्रक्रिया संहिता-निपटाई गई लिखित याचिकाs.482।

सी.

डी.

ई.

एफ.

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 286।

जी.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

मनिंदर सिंह, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, पवन नोरै, वरुण खन्ना, सुश्री कृतिका

एच.

182 ए.

183

नाविका कुमार बनाम भारत संघ और अन्य ए

सचदेवा, लक्ष्य खन्ना, ध्रुव शर्मा, राघव अग्रवाल, जप्पन प्रीत होरा, प्रभास बजाज, सुश्री अशिता चावला, अजय सभरवाल, प्रणव सहगल, राघव तिवारी, नवनीत आर., मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, एड.याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सुश्री स्वाति घिल्डियाल, कानू अग्रवाल, नवनजय महापात्रा, सुश्री रूह-ए-हिना दुआ, सुश्री नीला केदार गोखले, शैलेश मडियाल, नकुल चेंगप्पा के. के., हर्षित खांडुजा, कनिष्क बंदरवाल, जी. एस. मक्कर, ए. के. शर्मा, सुश्री आस्था शर्मा, रविंदर सिंह, सुश्री रवीशा गुप्ता, सुश्री मंटिका हरियानी, श्रेयस अवस्थी, एम/एस. पी. एल. आर. चैम्बर्स एंड कंपनी, सुश्री तरुणा अर्धनदुमौली प्रसाद, सुश्री श्रेया श्रीवास्तव,प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

बी.

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित ठोस राहतों के लिए अनुरोध किया है, (ए) वर्तमान याचिका के पैराग्राफ 17 में वर्णित विवादित एफ. आई. आर./शिकायतों को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें या उसी घटना/घटना से उत्पन्न याचिकाकर्ता के संबंध में

दायर की गई किसी अन्य एफ. आई. आर./आपराधिक शिकायत या अनुसंधान या अनुसंधान शुरू की जाए या भविष्य में शुरू की जाए, यानी, टाइम्स नाउ पर 26.05.2022 पर प्रसारित समाचार बहस;

डी.

ई.

(बी) वैकल्पिक रूप से, स्थानांतरण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें और पैराग्राफ 17 में वर्णित विवादित एफ. आई. आर./आपराधिक शिकायतों सहित सभी एफ. आई. आर., और उसी घटना/घटना से उत्पन्न याचिकाकर्ता के संबंध में दायर की गई किसी भी अन्य एफ. आई. आर./आपराधिक शिकायत या अनुसंधान या अनुसंधान शुरू की जाए या भविष्य में शुरू की जाए, यानी, टाइम्स नाउ पर विशेष प्रकोष्ठ, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 130 के साथ 26.05.2022 पर प्रसारित समाचार बहस, यानी उक्त घटना/घटना के संबंध में पहली रिपोर्ट की गई एफ. आई. आर.;

एफ.

जी.

(ग) वर्तमान याचिका के पैराग्राफ 17 में वर्णित आक्षेपित एफ. आई. आर./आपराधिक शिकायतों के अनुसार कोई भी दंडात्मक कदम उठाने के लिए प्रत्यर्थीगणओं और/या किसी अन्य प्राधिकारी को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें या

एच.

उसी घटना/घटना से उत्पन्न याचिकाकर्ता के संबंध में दायर की गई कोई अन्य एफ. आई. आर./आपराधिक शिकायत या अनुसंधान या अनुसंधान या भविष्य में शुरू की जानी है, यानी टाइम्स नाउ पर 26.05.2022 पर प्रसारित समाचार बहस;

(घ) इस आशय का आदेश या उपयुक्त प्रकृति का कोई अन्य आदेश जारी करें कि किसी भी अदालत द्वारा किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाएगा और न ही उसी घटना/घटना के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कोई प्राथमिकी, यानी टाइम्स नाउ पर 26.05.2022 पर प्रसारित समाचार बहस।(ङ) याचिकाकर्ता को वर्तमान

रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दें यदि भविष्य में कार्रवाई के उसी कारण पर कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है।

बी.

सी.

घटना/घटना के संबंध में विभिन्न राज्यों के विभिन्न पुलिस थानों में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों/आपराधिक शिकायतों के संबंध में-टाइम्स नाउ पर 26.05.2002 पर प्रसारित न्यूज़ आवर डिबेट।

डी.

2. याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर विभिन्न प्राथमिकियों/आपराधिक शिकायतों का विवरण, जिनमें से वर्तमान याचिका में राहत मांगी गई है, निम्नानुसार हैं:

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

2.1 यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त प्राथमिकियों/शिकायतों के अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ दो और प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, जो वर्तमान रिट याचिका का हिस्सा नहीं हैं:

बी.

सी.

3. यह याचिकाकर्ता की ओर से मामला है, जो संबंधित समय पर टाइम्स नाउ पर प्रसारित न्यूजहोर डिबेट का संचालन करने वाले एंकर थे, कि एक अन्य सह-आरोपी-नूपुर शर्मा के मामले में उपरोक्त प्राथमिकियों/आपराधिक शिकायतों के संबंध में, इस अदालत ने रिट याचिका (आपराधिक) संख्या में विविध आवेदन संख्या 1238/2022 में दिनांकित 10.08.2022 के आदेश के माध्यम से संबंधित प्राथमिकियों/शिकायतों को अनुसंधान के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई को स्थानांतरित कर दिया है।इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि याचिकाकर्ता के मामले में भी इसी तरह का आदेश पारित किया जा सकता है जो स्थानांतरित प्राथमिकियों/शिकायतों में सह-आरोपी है क्योंकि एक ही प्राथमिकियों/शिकायतों के संबंध में दो जांच एजेंसियां नहीं हो सकती हैं।

डी.

ई.

4. भारत संघ की ओर से पेश हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की ओर से भी पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री रविंदर सिंह उपरोक्त तथ्य पर विवाद करने की स्थिति में नहीं हैं कि वही प्राथमिकियां/शिकायतें जिनमें याचिकाकर्ता भी सह-आरोपी है, उन्हें दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

एफ.

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 239/2022 में विविध आवेदन संख्या 1238/2022 में इस अदालत द्वारा दिनांक 10.08.2022 द्वारा पारित आदेश पर विचार किया है, जिसके द्वारा उपरोक्त प्राथमिकियों/शिकायतों के संबंध में एक ही घटना/घटना से उत्पन्न होने वाली दो प्राथमिकियों को छोड़कर, अर्थात् समय पर प्रसारित समाचार बहस अब 26.05.2022 पर, जांच/मामलों को दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाता है।एफ. आई. आर./शिकायतें जो दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई को हस्तांतरित की जाती हैं, जिसमें याचिकाकर्ता है।

जी.

एक सह-अभियुक्त भी, अलग-अलग सह-अभियुक्तों के संबंध में एक ही घटना/घटना से उत्पन्न होने वाली समान प्राथमिकियों/शिकायतों के संबंध में दो जांच एजेंसियां नहीं हो सकती हैं। जहाँ तक याचिकाकर्ता के सह-अभियुक्त होने का संबंध है, उपरोक्त आधार के साथ-साथ समानता के आधार पर, ऊपर निर्दिष्ट प्राथमिकियों/शिकायतों को भी दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

बी.

6. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभियुक्त नूपुर शर्मा के मामले में उपरोक्त आदेश दिनांक 10.08.2022 द्वारा, इस न्यायालय ने एक आदेश भी पारित किया है कि उसी घटना/घटना के संबंध में भविष्य में दर्ज की जाने वाली किसी भी बाद की प्राथमिकियों/शिकायतों की अनुसंधान , अर्थात्, 26.05.2022 पर टाइम्स नाउ पर प्रसारित न्यूज़ऑर डिबेट को भी दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।7. अभियुक्त नूपुर शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2022 पर पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या <ID2 में विविध आवेदन संख्या 1238/2022 में पारित किया गया, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ वर्तमान रिट याचिका का निपटारा करते हैं:

सी.

डी.

i) पैराग्राफ 2 और 2 में ऊपर उल्लिखित सभी एफ. आई. आर./शिकायतों को दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।(ii) दिल्ली पुलिस, आई. एफ. एस. ओ. इकाई द्वारा दर्ज 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 140 दिनांक आई. डी. 1 के साथ पहली एफ. आई. आर. संख्या 683 को प्रमुख मामलों के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य एफ. आई. आर./शिकायतों के साथ मिलकर जांच की जानी चाहिए, जिसमें याचिकाकर्ता सह-अभियुक्त है, जिन्हें पहले से ही दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।

ई.

iii) दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई पूरी तरह से अनुसंधान करने और इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य एजेंसियों से कोई भी जानकारी एकत्र करने और एकत्र करने के लिए स्वतंत्र होगी।

एफ.

iv) याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त एफ. आई. आर./शिकायतों के अनुसार और उन एफ. आई. आर./शिकायतों के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन पर आज से आठ सप्ताह की अवधि के लिए टाइम्स नाउ पर दिनांकित आई. डी. 1 के प्रसारण से संबंधित भविष्य में विचार किया जा सकता है ताकि याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सके; और

जी.

v) उसी न्यूज़ आवर डिबेट ए के संबंध में भविष्य में दर्ज की जाने वाली किसी भी बाद की प्राथमिकियों/शिकायतों की अनुसंधान ।

एच.

187

नाविका कुमार बनाम भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

टाइम्स नाउ पर 26.05.2022 पर प्रसारित होने वाला प्रसारण भी दिल्ली पुलिस की आई. एफ. एस. ओ. इकाई को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

8. जहाँ तक रिट याचिका में प्रार्थना (क) के संदर्भ में प्राथमिक प्रार्थना का संबंध है, याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर ऐसी प्रार्थना को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी।जब भी याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं, तो उन पर कानून के अनुसार और उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।हम स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि हमने विभिन्न प्राथमिकियों/शिकायतों में निहित आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।9. वर्तमान याचिका का निपटारा उपरोक्त के संदर्भ में किया जाता है।

बी.

सी.

देविका गुजराल

लिखित याचिका का निपटारा किया गया।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.